भारतीय मानवाधिकार एसोसियेशन
HUMANRIGHTS ASSOCIATION OF INDIA
Central Reg.No.S-47264-03
Visit us.www.hrai.co.in

Central Office:
45D,Amar Plaza,Hasanpur Main Road,
I.P.Extn.,Delhi-92
Ph.09871640670,09415511774
Tele Fax No.-01143094708

Date.. 11.07.12
Ref.No...HRAI/11-13/148

आदेश

श्री डा.महेन्द्र शर्मा
फरीदाबाद,हरियाणा

विषय:– भारतीय मानवाधिकार एसोसियेशन के समानान्तर संगठन गठन करने पर आजीवन सदस्यता व पद की समाप्ति।

आपके द्वारा भारतीय मानवाधिकार एसोसियेशन के समानान्तर एक सामाजिक संगठन किया गया है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा भारतीय मानवाधिकार एसोसियेशन के डुप्लीकेट परिचय पत्र भी जारी किये गये है जिसमें कुरूश्रेत्र,फरीदाबाद व पंजाब के सदस्यों को आपने अवैध तरीके से जारी कर दिये जिनका कि किसी प्रकार से संगठन जिम्मेवार नही है। भारतीय मानवाधिकार एसोसियेशन द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क से अधिक आपने धन वसूला। अतः आप के द्वारा किये जाने वाले उपरोक्त कार्य संगठन विरोधी कार्य के अर्न्तगत पाये गये।

उपरोक्त समस्त प्रकरण के सन्दर्भ में आपको व्यक्तिगत रूप से केन्द्रीय कार्यालय में अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया गया परन्तु आप अपनी स्थिती स्पष्ट नही कर पाये।

संगठन ने उक्त मामले की जांच करायी जिसमें डा.महेन्द्र शर्मा के द्वारा किया गया कार्य संगठन विरोधी कार्य व आपराधिक श्रेणी में पाया गया। अतः संगठन की स्थायी नियमावली के अनुसार डा.महेन्द शर्मा को संगठन से निष्कासित किया जाता है तथा उनकी आजीवन सदस्यता भी समाप्त की जाती है एंव उनका प्रमाणपत्र एंव परिचयपत्र सं0 **बी–4747** भी निरस्त माना जायेगा। आज के उपरान्त इनका प्रयोग अवैध है। डा.महेन्द्र षर्मा का संगठन से किसी भी प्रकार से सम्बन्ध नही है उनके द्वारा किये गये किसी भी कार्य के लिये संगठन जिम्मेवार नही है। तथा डा.महेन्द्र शर्मा को यह भी निर्देशित किया जाता है कि संगठन से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र व रसीद बुके केन्द्रीय कार्यालय प्रेषित करके उनकी प्राप्ति कराले।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।

अनुराग चन्द्रवंशी
राष्ट्रीय अध्यक्ष

वितरण..........
समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारीगण
प्रदेश महासचिव,हरियाणा
समस्त प्रदेश पदाधिकारीगण (हरियाणा)
समस्त जिलाध्यक्ष (हरियाणा)
जिला/पुलिस प्रशासन को सूचनार्थ
कार्यालय पत्रावली
वेवसाइट में प्रकाशन हेतु

अनुराग चन्द्रवंशी
राष्ट्रीय अध्यक्ष